क्रम-संख्या—16

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०—41

(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 7 जनवरी, 1988

पौष 17, 1909 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 18 / सतह-वि-1-1 (क) 28-1987

लखनऊ, 7 जनवरी, 1988

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1987 पर दिनांक 7 जनवरी, 1988 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1988 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1987

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन् 1988]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 और उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1978 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1987 कहा जायगा।

(2) यह 14 दिसम्बर, 1987 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

14

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1977 की धारा 2 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, जहां कहीं भी शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1987" आय हों, उनके स्थान पर शब्द और अंक "30 जून, 1988" रख दिये जायेंगे।

धारा 3 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 3 में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1987" के स्थान पर शब्द और अंक "30 जून, 1988" रख दिये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 1978 की धारा 24 का संशोधन

4--उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 24 में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1987" के स्थान पर शब्द और अंक "30 जून, 1988" रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन् 1987

5--(1) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1987 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित धारा 2 और 4 में निर्दिष्ट अधिनियमों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
श्रीनाथ सहाय,
सचिव।

No. 18(2)/XVII-V—1-1(KA)28-1987

Dated Lucknow, January 7, 1988

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nagar Swayatta Shasan Vidhi (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 1987 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 2 of 1988) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on January 7, 1988 :

THE UTTAR PRADESH URBAN LOCAL SELF-GOVERNMENT LAWS (SECOND AMENDMENT) ACT, 1987

[U. P. Act no. 2 of 1988]

(As passed by the U. P. Legislature)

AN
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Municipalities, Notified Areas and Town Areas (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 1977 and the Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Third Amendment) Act, 1978.

It is hereby enacted in the Thirty-eighth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Second Amendment) Act, 1987.

(2) It shall be deemed to have come into force on December 14, 1987.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 13 of 1977

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Municipalities, Notified Areas and Town Areas (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 1977, hereinafter referred to as the principal Act, *for* the word and figures "December 31, 1987" wherever occurring, the word and figures "June 30, 1988" shall be *substituted*.

Amendment of section 3

3. In section 3 of the principal Act, *for* the word and figures "December 31, 1987" the word and figures "June 30, 1988", shall be *substituted*.

Amendment of section 24 of U.P. Act no. 35 of 1978

4. In section 24 of the Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Third Amendment) Act, 1978, *for* the word and figures "December 31, 1987", the word and figures "June 30, 1988" shall be *substituted*.

15

U. P. Ordinance no. 13 of 1987.

Repeal and Saving

5. (1) The Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Second Amendment) Ordinance, 1987, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Acts referred to in sections 2 and 4 as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the said Acts as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
S. N. SAHAY,
Sachiv.

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 152 सा0 (विधा0)—(3576)—1988—850 (मेक0)।